विद्युत लोकपाल

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-10/18

श्री परशुराम गुप्ता, — **आवेदक**
पुत्र सूरज प्रकाश गुप्ता,
उत्सव वाटिका के पास, पुराना बस स्टेंड,
शिवपुरी (म0प्र0)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक (सं./सं.) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शिवपुरी (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 21.11.2019 को पारित)

01. आवेदक श्री परशुराम गुप्ता, पुराना बस स्टेंड, शिवपुरी ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षैत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक जी0टी0 52/2016 में दिनांक 29.05.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – 12.05.2018 से विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो कार्यालय में दिनांक 16.05.2018 को प्राप्त हुई और प्रकरण क्रमांक एल00–10/2018 पर दर्ज की गई । आवेदक ने अपनी अपील के साथ माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ के आदेश दिनांक 07.05.2018 की प्रमाणित प्रति, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल क्षैत्र के आदेश दिनांक 29.05.2017 की प्रति, आवेदक के विद्युत कनेक्शन (सर्विस क्रमांक 2594630–86–20–0371500887 के लिए अनावेदक कम्पनी मप्रमविविकंलि, भोपाल द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2017 को जारी विद्युत बिल की प्रति आवेदक द्वारा रू0 65,538/–

जमा किए जाने की रसीद दिनांक 04.09.2017 की जमा रसीद, प्रबंधक संचा./संधा., मप्रमविविकंलि, उपसंभाग, पूर्व क्षैत्र, शिवपुरी के पत्र क्रमांक 797 दिनांक 01.08.2017 की प्रति माह फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक की अवधि के संशोधित किए गए पिछले बिलों का विवरण–पत्रक एवं उपभोक्ता के परिसर में HPL make S.No. 1022039 के पुराने खराब मीटर को बदलकर नया Avon make meter No. 1335789 लगाए जाने संबंधी बनाए गए प्रतिवेदन की प्रति जिस पर पुराने एवं नए मीटर के विवरण दर्शित है व उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित है संलग्न की है । आवेदक के लिखित अभ्यावेदन से प्रस्तुत अपील में निम्नानुसार विवरण दर्शित हैं :–

(i) आवेदक ने अपने विद्युत कनेक्शन IVRS क्रमांक 0371500887 में विद्युत बिलिंग में त्रुटिपूर्ण लगाए जा रहे खपत के विरूद्ध शिकायत की थी, जिसमें प्रार्थना की थी :–

मार्च 16 में खपत 500 यूनिट थी, जिसे बढ़ाकर 1500 यूनिट कर दी, जो मन गड़न्त है, जिसे सुधारा जाए ।

(ii) फोरम ने निर्णय दिया कि औसत खपत 1500 यूनिट को सुधारकर 1434 यूनिट कर दी जाए और इसे फरवरी 16 से प्रभावशील कर दिया जाए ।

(iii) अनावेदक ने दिनांक 01.08.17 को जारी पत्र द्वारा अवगत कराया कि फोरम के आदेशानुसार रूपए 9268 की वसूली का आदेश जारी किया ।

उपरोक्त प्रकार से शिकायत निवारण की बजाय रूपए 9268 की और अधिक वसूली कर ली (संलग्न रसीद)

(iv) अपील के आधार : म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के खण्ड 3.35 के अनुसार–

8.35 The billing for the duration when the meter remains dysfunctional may be done in the following manner :

(a) In case a check-meter is available, the readings of the same may be used for assessment of consumption.

(b) In case, if during the period when the main meter is defective, the check meter is not installed or is also found defective, the quantity of electricity supplied shall be determined on the basis of average monthly consumption of previous three meter reading cycles. However, if the meter is found defective within three months of the date of connection, the quantity of electricity may be assessed on the basis of average monthly consumption of three meter reading cycles recorded by new meter ;

(c) The licensee, in absence of proper assessment immediately, may issue bill on provisional basis to the consumer on the basis of average monthly

consumption of previous three meter reading cycles subject to revision at a later date.

उपरोक्त रूलिंग के अनुसार पूर्ववर्ती 3 माह की रीडिंग अनुसार, अनुमानित औसत निर्धारण करना था । चूंकि दिसम्बर 2015 में मीटर सही था । अतः पूर्ववर्ती खपत 3 माह की यानि 184, 121 व 146 का औसत 150 यूनिट निर्धारण होना था, जिसे जनवरी 16 में 500 यूनिट कर दी तथा अप्रैल 16 से 1500 यूनिट कर दी, जो कि दिसम्बर 16 तक जारी रखी ।

(1) यह कि अनावेदक ने फोरम में मीटर बदलने की तारीख, फोरम को दिनांक 11.01.17 बतलाई जो गलत है । मीटर दिनांक 21.12.16 को बदला गया था । (सबूत संलग्न है)

(2) दिनांक 20.01.17 को मीटर रीडिंग ली थी, जो 410 यूनिट है । अतः

जनवरी 17	410	
फरवरी	768	
मार्च	654	
कुल	1832	यानि औसत हुआ 610 यूनिट

उपरोक्त प्रकार से मीटर खराब होने के पूर्ववर्ती औसत 151 यूनिट अथवा पश्चातवर्ती मीटर औसत खपत 610 ली जानी थी, जो उक्त दोनों में से, किसी को न लेकर, एक नवीन 1434 की खपत, सृजित कर वसूली की गई जो नितांत त्रुटिपूर्ण है । अतः –

i) रू0 9628/– की की गई वसूली को निरस्त कर मय सरचार्ज के वापस की जाए

ii) फरवरी 2016 से दिसम्बर 2016 की खपत उपरोक्त प्रकार से सुधार कर बिल संशोधित किए जाने की प्रार्थना है ।

02. विद्युत लोकपाल कार्यालय में इस प्रकरण के तहत दिनांक 03.05.2019 को सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से आवेदक के पिता श्री सूरज प्रकाश गुप्ता बतौर प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिवक्ता के अधीनस्थ कार्यरत श्री विशाल रघुवंशी उपस्थित हुए ।

03. प्रकरण में पहली सुनवाई दिनांक 19.07.2018 को नियत की जाकर आवेदक एवं अनावेदक प्रबंध संचालक एवं उपमहाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग मप्रमविविकंलि, शिवपुरी को नोटिस जारी किया गया । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 09.08.2018 को नियत की जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी किए गए । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात् प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 03.05.2019 को नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 03.05.2019, 24.05.2019, 04.06.2019,14.06.2019, 25.06.2019, 23.07.2019 एवं 06.08.2019 को सुनवाई आयोजित कर उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया ।

04. दिनांक 03.05.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक के पिता श्री सूरज प्रकाश गुप्ता उपस्थित हुए ।

अनावेदक की ओर से अनावेदक के अधिकृत अधिवक्ता के अधीनस्थ कर्मचारी श्री विशाल रघुवंशी ने उपस्थित होकर सूचित किया कि अधिकृत अधिवक्ता भोपाल से बाहर होने के कारण वे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अतः सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाए । सुनवाई की अगली तारीख 24.05.2019 नियत की गई ।

05. दिनांक 24.05.2019 को आयोजित सुनवाई में आवेदक की ओर से आवेदक के पिता श्री सूरज प्रकाश गुप्ता तथा अनावेदक की ओर से श्री विजय सोनी, जूनियर इंजीनियर, पूर्व क्षेत्र, शिवपुरी उपस्थित हुए ।

आवेदक प्रतिनिधि ने आवेदक का लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई । आवेदक के इस लिखित प्रतिवेदन में आवेदक ने कथन किया कि फोरम ने स्वीकार किया है कि दिसम्बर 2015 तक मीटर सही था, अतः जनवरी 16 से

जनवरी 17 तक बिलिंग मीटर में अक्टूबर, 15 से दिसम्बर 15 तक दर्ज औसत खपत जो कि 150 युनिट होती है, के आधार पर करनी थी जो नहीं की गई ।

आवेदक ने कथन किया कि उनके वाद में एक केवल मीटर बदलने की दिनांक को लेकर विवाद है, क्योंकि वास्तव में पुराना मीटर दिनांक 20.12.2016 को बदला गया था, जबकि अनावेदक द्वारा 11 जनवरी, 2017 को मीटर बदलना बताया गया, जो कि गलत है । इस कारण माननीय फोरम द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.05.2017 में दिसम्बर, 15 से जनवरी, 17 की अवधि में नियमानुसार जो औसत खपत का निर्धारण किया है वह काफी अधिक आई है । मीटर बदलने की दिनांक 20.12.16 लिए जाने पर मासिक औसत खपत 610 युनिट्स होती है किन्तु अनावेदक द्वारा मीटर बदलने की दिनांक 11.01.17 गलत बताने से यह 1434 युनिट्स हो गई है । इस संबंध में अपीलीय अभ्यावेदन के साथ मीटर रिप्लेसमेंट रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है ।

अनावेदक के गलत बयान से फोरम का निर्णय गलत हुआ और इसके अमल में बहुत विलंब हुआ जिस कारण आवेदक को उच्च न्यायालय व लोकपाल महोदय के यहां निर्णय प्राप्त करने के लिए आर्थिक व मानसिक परिश्रम करना पड़ा जिसका अनुतोष रू0 30,000/– दिलवाए जाने की सादर प्रार्थना है ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर रिप्लेसमेंट रिपोर्ट की छायाप्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि इसके पृष्ठ भाग पर निम्नानुसार एक हस्तलिखित टीप दर्ज है । आवेदक के कथनानुसार यह टीप अनावेदक के कर्मचारी द्वारा मीटर बदलने की दिनांक को लेकर दर्ज की गई है क्योंकि मीटर बदलने की रिपोर्ट में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया था । टीप अंकित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के नीचे नाम/पदनाम अंकित नहीं है तथा उसकी पहचान के संबंध में आवेदक प्रतिनिधि का कथन है कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

06. अनावेदक द्वारा आवेदक की प्रस्तुत अपील पर लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति आवेदक को दी गई । इस लिखित प्रत्युत्तर में अनावेदक की ओर से प्रश्नाधीन अपीलीय प्रकरण से संबंधित निम्नानुसार उत्तर प्रस्तुत किया गया :–

(i) यह कि आवेदक परशुराम, पुत्र सूरज प्रकाश गुप्ता, पुराना बस स्टैंड, उत्सव वाटिका के पास, शिवपुरी (म0प्र0) द्वारा विद्युत कनेक्शन क्र0 86–20–371522887 (आई.व्ही.आर.एस. नं. 0371500887) घरेलू शहरी विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया

था । उक्त कनेक्शन पर आवेदक को 500 वाट का भार स्वीकृत था । चूंकि उक्त विद्युत मीटर खराब हो गया था, इसलिए अनावेदकगण द्वारा उक्त मीटर की औसत खपत के आधार पर आवेदक को विद्युत देयक प्रेषित किए जाते थे ।

(ii) यह कि दिनांक 07.12.2016 को आवेदक द्वारा विद्वान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर मीटर खपत में सुधार, मीटर परिवर्तन किए जाने, विद्युत भार डीएल से सीएल में परिवर्तित किए जाने तथा समयबाधिक प्रकरण अंतर्गत धारा 126(3) निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया । इसी दरम्यान अनावेदक विद्युत कम्पनी द्वारा आवेदक के परिसर में दिनांक 11.01.2017 को नया विद्युत मीटर स्थापित किया गया ।

(iii) यह कि प्रकरण के वास्तविक संक्षिप्त तथ्य है कि आवेदक परिसर का मीटर खराब होने के कारण औसत निर्धारण किया गया था, किन्तु परिसर निरीक्षण में स्वीकृत भार अधिक पाए जाने के कारण औसत निर्धारण भार अनुसार पुनः निर्धारण किया गया था तथा आवेदक का मीटर भी बदलकर नया मीटर लगा दिया गया था ।

(iv) यह कि विद्वान फोरम द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना करने के उपरांत दिनांक 29.05.2017 को विधिसंगत आदेश पारित कर निर्देशित किया गया कि आवेदक को जारी दिनांक 20.01.2016 के पश्चात् औसत खपत के विद्युत देयकों में लगाई गई है आंकलित खपत उसे निरस्त करता है एवं अनावेदक को निर्देशित किया गया कि वह आवेदक को दिनांक 11.01.2017 को स्थापित नए मीटर में दर्ज खपत के अनुसार तीन माह की खपत क्रमशः क्रमशः 768 + 654 + 2881 यूनिट का औसत लेकर फरवरी, 2016 से जनवरी, 2017 तक 12 माह प्रत्येक माह 1434 यूनिट औसत लेकर विद्युत देयक संशोधित करें ।

(v) यह कि आवेदक विद्युत कम्पनी द्वारा विद्वान फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 का परिपालन सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही की गई है । किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक, अनावेदक विद्युत कम्पनी को वैधानिक कार्यवाहियों में उलझाकर विद्युत देयकों की राशि अदा करने से बचने हेतु निरंतर प्रयासरत है । अस्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त होने योग्य है ।

(vi) अनावेदक द्वारा अनावेदक द्वारा आवेदक के वाद पर प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया और देखा कि मीटर बदले जाने की आवेदक द्वारा बताई गई दिनांक 20.12.16 का न कोई खण्डन किया गया न ही अनावेदक स्वयं द्वारा सूचित दिनांक 11.01.17 के संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा अपने वाद के साथ प्रस्तुत मीटर रिप्लेसमेंट रिपोर्ट की प्रति जिस पर अनावेदक ने भी सहमति प्रकट की, उसमें भी पुराना मीटर बदलने व नया मीटर लगाए जाने की दिनांक का उल्लेख नहीं है ।

(vii) अनावेदक से मीटर बदलने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के निर्देश पर उनके पास तत्समय ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना सूचित किया गया एवं कथन किया गया कि उन्हें प्रकरण की नस्ती दो दिन पूर्व ही मिली है एवं उन्हें प्रकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी नहीं है । उपभोक्ता परिसर में

त्रुटिपूर्ण मीटर को बदलकर नए मीटर की स्थापना संबंधी विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से भी वे अनभिज्ञ पाए गए ।

आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि उनको प्रकरण में ओर कुछ नहीं कहना या प्रस्तुत करना है, अतः उन्हें अगली सुनवाई से मुक्त रखा जावे तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किए व प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/साक्ष्य/जानकारी के आधार पर जो भी निर्णय लिया जावेगा वो उन्हें मान्य होगा ।

अगली सुनवाई दिनांक 25.06.2019 को अनावेदक की ओर से अधिकृत अधिवक्ता श्रीमती अनामिका कुमार उपस्थित हुई किन्तु प्रकरण में अनावेदक की ओर से पहली बार उपस्थित होने के कारण प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए उनके द्वारा अनावेदक से आवश्यक जानकारी लेकर अगली सुनवाई में पक्ष रखने हेतु कथन किया गया ।

07. अगली सुनवाई दिनांक 23.07.19 को आवेदक की ओर से आवेदक के पिता श्री सूरज प्रकाश गुप्ता बतौर प्रतिनिधि उपस्थित हुए किन्तु अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

आवेदक प्रतिनिधि ने दो प्रतियों में अन्तिम तर्क प्रस्तुत किए, जिसे रिकार्ड में लिया गया।

अनावेदक की लगातार अनुपस्थिति के कारण प्रकरण की सुनवाई में हो रहे विलंब को देखते हुए अनावेदक को एक अन्तिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई दिनांक 06.08.2019 को नियत की गई ।

08. दिनांक 06.08.19 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से श्री राहुल साहू, डी.जी.एम. (संचा./संधा.) शिवपुरी – I उपस्थित ।

अनावेदक श्री राहुल साहू, डी.जी.एम. (संचा./संधा.) द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण से संबंधित शिवपुरी ईस्ट जोन द्वारा संधारित मीटर इश्यू रजिस्टर के पेज नं0 108 की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसके सरल क्र0 82 पर आवेदक के परिसर में लगाए जाने हेतु नए मीटर इश्यू किया जाना था । इसमें वर्णित विवरण अनुसार आवेदक के पुराने मीटर बदलकर जो नए मीटर लगाए गए थे वह उसके स0क्र0 1335789 Avon का था जो दिनांक 11.01.2017 को स्वयं को इश्यू किया गया था । इसके साथ ही आवेदक श्री परशुराम गुप्ता के कनेक्शन सिस्टम जनरेटिंग कन्ज्यूमर पासबुक प्रस्तुत की गई है, जिसमें अगस्त

2014 से जून 2019 तक के विवरण दर्शित है । उनका कथन है कि नया मीटर दिनांक 11.01.17 को ही आवेदक के परिसर में लगाया गया था, जिसके समर्थन में संधारित मीटर इश्यू रजिस्टर के पृष्ठ क्र0 108 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है । इस परिपेक्ष्य में इनका कथन है कि चूंकि नया मीटर जनवरी मध्य माह में लगाया गया था, अतः फोरम के आदेशानुसार नया मीटर लगाने के बाद के 3 पूर्ण बिलिंग चक्र फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2017 के हैं एवं तद्नुसार ही आवेदक के फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक के बिल की मासिक औसत खपत के लिए गए हैं, जो कि उचित है ।

अनावेदक का कथन है कि इसके अलावा आगे उन्हें अब और कोई कथन नहीं करना है न ही कोई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं ।

अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया।

09. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपीलीय अभ्यावेदन तथा उभयपक्षों द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा किए गए कथनों के आधार पर प्रकरण की सावधानीपूर्वक विवेचना की गई जिससे निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

(i) आवेदक ने सुनवाई में कथन किया है कि उनकी अपील में मुख्य विवाद नए मीटर की स्थापना की तिथि को लेकर है जो कि अनावेदक द्वारा फोरम के समक्ष दिनांक 11.01.2017 बताई गई थी जो गलत है और वास्तविकता में मीटर दिनांक 21.12.2016 को बदला गया था । इस संबंध में उनके द्वारा मीटर बदले जाते समय तैयार की गई रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें मीटर बदले जाने का उल्लेख नहीं है तथा इसके पृष्ठभाग पर एक हस्तलिखित टीप निम्नानुसार दर्ज है :–

Meter Replacement date
21-12-2016
Avon - 1335789
FR = disp. OFF
SR = 0

हस्ता/–
तारीख 18.11.17

(ii) आवेदक के कथनानुसार चूंकि मीटर बदलने की रिपोर्ट में मीटर बदले जाने की दिनांक दर्ज नहीं किया गया था, अतः उनके द्वारा अनावेदक के कर्मचारी से इस रिपोर्ट के पृष्ठभाग पर मीटर बदले जाने की सही दिनांक संबंधी टीप दर्ज करवाई गई थी । इस टीप का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि –

(अ) हस्तलिखित टीप पर टीप दर्ज करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, किन्तु उसका नाम एवं पदनाम दर्शित नहीं है ना ही अनावेदक के कार्यालय की मोहर इस टीप पर लगी है, जिससे इस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो सके। आवेदक ने भी इस कर्मचारी की पहचान के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है । ऐसी स्थिति में जबकि टीप अंकित करने वाले व्यक्ति को अनावेदक का कर्मचारी माने जाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस व्यक्ति को अनावेदक का कर्मचारी नहीं माना जा सकता है । इसके साथ ही पहचान नहीं होने से इस व्यक्ति को प्रकरण में साक्ष्य के लिए बुलाया जाना भी संभव नहीं है ।

(ब) हस्तलिखित टीप नए मीटर की स्थापना के लगभग एक वर्ष के अंतराल के बाद दर्ज की गई है ।

(स) फोरम से आवेदक के प्रकरण क्रमांक जी.टी. 52/2015 की प्राप्त नस्ती के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फोरम में सुनवाई के दौरान अनावेदक ने अपने लिखित प्रत्युत्तर क्रमांक 9816 दिनांक 07.02.2017 से जानकारी प्रस्तुत की थी कि आवेदक का खराब मीटर पिछले माह में बदल दिया गया है । इसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को भी सुनवाई के दौरान दी गई थी जो सुनवाई में उपस्थित थे, किन्तु आवेदक प्रतिनिधि द्वारा इस पर कोई आपत्ति फोरम के समक्ष दर्ज नहीं करवाई गई थी ।

(iii) उक्त अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत मीटर बदले जाने की रिपोर्ट की छायाप्रति जिसके पृष्ठभाग पर मीटर बदले जाने की दिनांक संबंधी हस्तलिखित टीप अंकित की गई है उसके संबंध में अंकित करने वाले व्यक्ति की पहचान अनावेदक के कर्मचारी के रूप में नहीं की जा सकी है, जिससे इस टीप को विश्वसनीय व प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(iv) अनावेदक ने विद्युत उपभोक्त शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने के पूर्व ही जनवरी, 2017 में ही मीटर बदल दिए जाने संबंधी सूचना लिखित रूप से प्रस्तुत कर दी थी, जिससे इस बात की संभावना भी समाप्त हो जाती है कि संभवतया फोरम को आदेश के बाद अनावेदक ने औसत खपत के उच्चतर निर्धारण के लिए नए मीटर की स्थापना की गलत दिनांक ली हो ।

(v) अनावेदक द्वारा मीटर बदले जाने की सूचना दिनांक 11.01.2017 के संबंध में अनावेदक ने नया मीटर इश्यु रजिस्टर के पेज नं0 108 की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसका स0क्र0 82 पर आवेदक के परिसर में लगाए जाने हेतु नया मीटर इश्यु किया जाना दर्ज है, जिसके अनुसार आवेदक के पुराने मीटर को बदलकर जो नया मीटर लगाया गया था उसका स0क्र0 1335789, make–Avon का था और दिनांक 11.01.2017 को इश्यु किया गया था ।

(vi) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आवेदक के परिसर में पुराना खराब मीटर बदलकर नया मीटर दिनांक 11.01.2017 को ही लगाया गया था और चूंकि नया मीटर मासिक बिलिंग चक्र के मध्य लगाया गया था, अतः फोरम ने अपने आदेश में नया मीटर लगाने के बाद फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2017 के तीन पूर्ण बिलिंग चक्रों में मीटर द्वारा दर्ज खपत

के आधार पर प्राप्त औसत मासिक खपत पर आवेदक के फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक के बिलों को संशोधित करने का निर्णय दिया है जो उचित पाया जाता है ।

10. उपरोक्तानुसार विवेचना उपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील अस्वीकार करते हुए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के आदेश दिनांक 29.05.2017 को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया जाता है । इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है।

11. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल